नीलामी–सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सामु0स्वा0केन्द्र लार एवं रूद्रपुर में 30 शैया मैटरनिटी विंग के निर्माण हेतु स्थल में आने वाले निष्प्रयोज्य भवनों क्रमशः पुराने प्रा0स्वा0केन्द्र लार के वार्ड एवं ओ0टी0 तथा प्रा0स्वा0केन्द्र रूद्रपुर के पुराने भवन को तोड़कर हटाया जाना है। उक्त स्थलों के मलवे के निस्तारण से प्राप्त होने वाली धनराशि का मूल्य क्रमशः लार रू0–3.31 लाख तथा रूद्रपुर रू0–2.68 लाख आकलित है। इनकी नीलामी के संबंध में यथा स्थिति की जानकारी नीलामी लेने वाले स्थल निरीक्षण कर सकते है। नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक को पृथक–पृथक रू0–30000.00 नकद धनराशि नीलामी के समय जमा करना होगा। अन्यथा की स्थिति में भाग नहीं ले पायेगें। न्यूनतम बोली क्रमशः रू0–3.31 लाख तथा रू0–2.68 लाख से कम नहीं होगी। उच्चतम बोली लगाने वाला ही नीलामी हेतु अर्ह होगा। नीलामी की तिथि सामु0स्वा0केन्द्र लार हेतु दिनांक 05.01.2015 तथा सामु0स्वा0केन्द्र रूद्रपुर हेतु दिनांक 07.01.2015 निर्धारित है। नीलामी लेने वाले को दो दिन के अन्दर नीलामी की सम्पूर्ण धनराशि जमा करना होगा। भवन को तोड़ते हुए मलवे का निस्तारण एक पखवारे के अन्दर कराना अनिवार्य होगा। नीलामी की अन्य शर्तें किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से सम्पर्क कर किया जा सकता है। नीलामी प्रकिया को किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी का होगा। नीलामी की कार्यवाही मुख्य चिकित्साधिकारी देवरिया के कार्यालय में प्रातः 11:00 बजे से प्रारम्भ होना सुनिश्चित है। निलामी संबंधित सूचना मुख्य चिकित्साधिकारी, देवरिया के वेबसाईट ~~www.cmodeoi@nic.in~~ www.deoria.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

(डा0 डी0के0 सिंह)
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
देवरिया।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देवरिया।

पत्रांक–निलामी / लार / रूद्रपुर / 2014–15 / 15551-57 दिनांक 16 दिसम्बर 2014

प्रतिलिपि–निम्नलिखित अधिकारियों के कार्यालय के नोटिस बोर्ड के चस्पा हेतु।

1. जिलाधिकारी, देवरिया।
2. मुख्य विकास अधिकारी, देवरिया।
3. उप जिलाधिकारी, रूद्रपुर / सलेमपुर, देवरिया।
4. तहसीलदार, देवरिया।
5. अधीक्षक, सामु0स्वा0केन्द्र रूद्रपुर / लार, देवरिया।
6. बस स्टेशन / रेलवे स्टेशन, देवरिया।
7. अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

(डा0 डी0के0 सिंह)
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
देवरिया।